बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड),

पटना – 800001

विज्ञापन संख्या 85/2014 – पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार के अंतर्गत बिहार वन सेवा के मूल काटि के सहायक वन संरक्षक के कुल 10 (दस) पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु वैसे उम्मीदवार जो स्वस्थ एवं सुगठित शरीर के हा एवं बिहार वन सेवा के सदस्य के रूप में दक्षतापूर्वक कत्तव्य पालन करने में बाधा डालने वाली शारीरिक विकलांगता से मुक्त हा, से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इन रिक्त 10 (दस) पदों में से अनारक्षित को 04 (चार), अनुसूचित जनजाति को 01 (एक), अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 03 (तीन), पिछड़ा वर्ग को 01 (एक) एवं पिछड़े वर्ग की महिला को 01 (एक) पद अनुमान्य हैं। ऐसे सरकारी सेवक जो इस पद के लिए योग्य हा, अपना आवेदन पत्र बिहार सरकारी सेवक (पदों के लिए आवेदन) नियमावली 1951 के तहत विहित प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से दे सकते हैं।

2. **वेतनमान** :– पी॰बी॰–2 (9300–34800) + ग्रेड पे॰–4800 रू॰

3. **शैक्षिक योग्यता** :– मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए और कम से कम एक विषय यथा– वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, वानिकी, भू–गर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी एवं प्राणी विज्ञान के साथ स्नातक की डिग्री या कृषि स्नातक या अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्रीधारक होना चाहिए।

4. **उम्र सीमा** :– 01.08.2014 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित महिला – 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक – 2374, दिनांक– 16.07.2007 के आलोक मे बिहार सरकार के वैसे सरकारी सेवक, जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 2447 दिनांक 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03(तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(iii) वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी के रूप मे वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के लिए सम्वर्ग नियमावली में यथा विहित प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में पांच वर्षो की छूट अनुमान्य हैं।

5. **आरक्षण**:–

(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं॰ 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास के अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में; अपने स्थायी अधिवास के अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। **विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी; उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अमान्य होगा, और संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।**

6. **शुल्क**:– केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 100/– (एक सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 150/– (एक सौ पचास) रूपये तथा अन्य बिहार सहित सभी राज्यों के उम्मीदवारों को 375/– (तीन सौ पचहत्तर) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 425/– (चार सौ पचीस) रूपये चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। उक्त चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। उम्मीदवार **चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।**

7. **अन्य**:– **अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।**

8. **चयन का आधार** :– लिखित परीक्षा, शारीरिक जाँच एवं साक्षात्कार के आधार पर।

लिखित परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषय होंगे। सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी को छोड़कर सभी विषयों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं।

(क) अनिवार्य विषय :–

क्र॰सं॰	अनिवार्य विषय	पाठ्यक्रम	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि (घंटों में)	परीक्षा की प्रकृति
1	2	3	4	5	6
1.	सामान्य हिन्दी	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दसवी (माध्यमिक) स्तर का होगा। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध हैं।	50 अहर्तांक 20 अंक	1:30	विषयनिष्ठ
2.	अंग्रेजी		50 अहर्तांक 20 अंक	1:30	विषयनिष्ठ
3.	सामान्य ज्ञान	पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध हैं।	100	2:00	वस्तुनिष्ठ
4.	वानिकी एवं पर्यावरण	इन्टर स्तरीय (+2) CBSE/ ICSE BOARD का पाठ्यक्रम होगा। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध हैं।	50	1:30	वस्तुनिष्ठ

(ख) ऐच्छिक विषय :– 300 (तीन सौ) अंक।

निम्नलिखित ऐच्छिक विषयों में से किन्हीं दो विषयों का चयन किया जाना अनिवार्य होगा, जिनमें प्रत्येक विषय का पूर्णांक 150–150 होगा एवं प्रत्येक विषय में दो–दो पत्र होंगे, जिनका पूर्णांक 75–75 होगा तथा परीक्षा की अवधि 1:30–1:30 घंटे की होगी। परीक्षा विषयनिष्ठ प्रकृति की हागी:–

क्र॰सं॰	ऐच्छिक विषय	विषयों के मानक एवं पाठ्यक्रम	उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन लेने की अनुमति नहीं हैं
1	2	3	4
1.	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान	**1.** सभी ऐच्छिक विषयों के मानक स्नातक डिग्री स्तर के होंगे। **2.** सभी ऐच्छिक विषयों के पाठ्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2014 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम होंगे। उक्त पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।	**(क)** कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी; **(ख)** कृषि एवं वानिकी; **(ग)** कृषि एवं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान; **(घ)** रसायन विज्ञान एवं रसायनिक अभियंत्रण; **(च)** गणित एवं सांख्यिकी; **(छ)** अभियंत्रण के विषयों में से एक से अधिक नहीं।
2.	कृषि		
3.	कृषि अभियांत्रिकी		
4.	वनस्पति शास्त्र		
5.	जन्तु शास्त्र		
6.	गणित		
7.	रसायन विज्ञान		
8.	भौतिकी		
9.	भू–गर्भ शास्त्र		
10.	यांत्रिकी अभियंत्रण		
11.	सिविल अभियंत्रण		
12.	रसायनिक अभियंत्रण		
13.	सांख्यिकी		
14.	वानिकी		

(ग) लिखित परीक्षा की मेधा सूची:– अनिवार्य विषयों में सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं की जानकारी सहित) के **100 अंक** तथा वानिकी एवं पर्यावरण के **50 अंक (कुल 150 अंक)** तथा ऐच्छिक दो विषय के **कुल 300 अंक, कुल 450 अंकों** में से प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। अनिवार्य विषय के अन्तर्गत सामान्य हिन्दी **(50 अंक)** एवं अंग्रेजी **(50 अंक)** में **20–20 अंक** अहर्त्तांक है, जिसे प्राप्त करना अनिवार्य होगा, लेकिन मेधा सूची तैयार करने हेतु उसकी गणना नहीं की जाएगी।

(घ) (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 में किये गए प्रावधान के अनुसार लिखित परीक्षा में अनारक्षित के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चौंतोस) प्रतिशत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत अहतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वैसे अर्हतांक प्राप्त उम्मीदवारों को शारीरिक जाँच के लिए बुलाया जाएगा।

(ii) लिखित परीक्षा में कोटिवार रिक्ति के दस गुणा उम्मीदवारों को शारीरिक जाँच हेतु चुना जाएगा, उन चुने गए उम्मीदवारों को आयोग द्वारा आयोजित शारीरिक जाँच से गुजरना होगा। शारीरिक जाँच में सफल उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।

शारीरिक जाँच हेतु निम्नलिखित न्यूनतम मानदण्ड विहित हैं :–

	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए	अन्य उम्मीदवारों के लिए
ऊँचाई (पुरूष)	152.5 से॰ मी॰	163 से॰ मी॰
ऊँचाई (महिला)	145 से॰ मी॰	150 से॰ मी॰
सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए		
सीना (बिना फुलाए) पुरूष	79 से॰मी॰	
सीना (फुलाना) पुरूष	05 से॰मी॰	
सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए		
पैदल चलना (पुरूष)	4 घंटे में 25 कि॰मी॰	
पैदल चलना (महिला)	4 घंटे में 14 कि॰मी॰	

(च) साक्षात्कार :– 50 अंक।

9. **अंतिम मेधा सूची** :– लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक को जोड़कर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।

10. **अंतिम तिथि**:–

(i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे कि सोमवार, दिनांक 22.12.2014 को अपराहन 5.00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।

(ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

1. **प्रविष्टि**:–

(i) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी॰) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। **आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

(ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले इंक के बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।

(iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसेः–

(i) **आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय –**

स्	न	ि	धा		

(ii) **हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें, यथा – ANIL KUMAR RAM को बाक्स में इस तरह लिखेंगें एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे :–**

A	N	I	L		K	U	M	A	R		R	A	M

(iii) **आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।**

(iv) **आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिये 06 भरें।**
उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। **अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**

(iv) स्तम्भ (कॉलम) **4 में दो ऐच्छिक विषय** अवश्य अंकित करें।

(v) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (×) कर दें।

(vi) क्रमांक 9(i) **''शैक्षिक योग्यता'' के अधीन प्राप्तांक, पूर्णांक एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।**

(vii) स्तम्भ (कॉलम) 11 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

2. **फोटोग्राफ**:– आवेदन–पत्र के पृ॰ 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ।** दोनों फोटो एक ही तरह का हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो/आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। **फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।**

3. **लिफाफा एवं प्रमाण पत्र**:–

(i) लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं॰ एवं पदनाम जिसके लिए आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।

(ii) विहित आवेदन पत्र के साथ प्रवेशिका प्रमाण पत्र, इन्टर प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, अंतिम महाविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र, वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी के रूप में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के लिये सम्वर्ग नियमावली के विहित प्रशिक्षित उम्मीदवार की दशा में अपने नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, तथा जाति प्रमाण पत्र (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र सहित) प्रतियां अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।

(iii) 16 × 10 से॰मी॰ का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक तथा प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 40–40 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना